फा.सं. 11034/07/2017-रा.भा. (नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल,
जयसिंह रोड़, नई दिल्ली-1
दिनांकः 01 मार्च, 2017

परिपत्र

राजभाषा विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सभी सूचनाएं अब से ऑनलाइन भेजी जाएंगी। यदि कोई सूचना ऑनलाइन नहीं प्राप्त होती है तो भी उसे ऑनलाइन अपडेट करना जरूरी है। इस कार्य के लिए राजभाषा विभाग में संयुक्त निदेशक (नीति) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ऑनलाइन प्राप्त सभी आर.टी.आई नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) को अग्रेषित की जायेगी। आर.टी.आई का उत्तर देने अथवा उसे किसी और को अग्रेषित करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की होगी। विभाग में पहले से ही चिह्नित किए गए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आर.टी.आई का जवाब देने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड तैयार कर दिया गया है। सभी संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी को यू.आर.एल., यूरजनेम और पासवर्ड उनके मेल पर भेजा जा रहा है। पासवर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा। यदि किसी को मेल पर यह जानकारी न मिली हो तो, श्रीमती सुनीता मदान, निजी सचिव से फोन नं. 23438250 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति) एवं
नोडल अधिकारी आर.टी.आई.

सेवा में,

सभी केन्द्रीय जन सचूना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी